रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042021-226400
CG-DL-E-07042021-226400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943
No. 1350] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ.1461 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4764(अ) दिनांक , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH707¼Old NH-72B) के कि.मी. 97 से कि.मी.106.12 (गुम्मा -फेडीज़ सेक्शन) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02-01-2021" को " अमरउजाला (हिंदी) " और " द ट्रिब्यून (अंग्रेजी) " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में NH707¼Old NH-72B) के कि.मी. 97 से कि.मी.106.12 (गुम्मा -फेडीज़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			**जिले का नाम: शिमला**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नेरवा				
	गांव का नाम: उप मोहाल बोही (181/2)				
1	171	सरकारी	चरागाह	2.4546	सरकार हिमाचल प्रदेश (171/1)
2	172	सरकारी	बाखल दोयम	0.0168	सरकार हिमाचल प्रदेश (172)
	गांव का नाम: उप मोहाल क्यारला (180/2)				
3	334	सरकारी	चरागाह	0.7619	सरकार हिमाचल प्रदेश (334/1)
4	548	सरकारी	चरागाह	0.167	सरकार हिमाचल प्रदेश (548/1)
			कुल	**3.4003**	

[फा.सं. MoRTH PIU-P.S./L.A./2020-21/054/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1461 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 4764(E) Dated 29.12.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH707¼Old NH-72B) on the stretch of land from Km 97 to Km 106.12 (Guma – Fediz Section) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in Hindi "Amar Ujala" and English "The Tribune" both dated 02.01.2021 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares tha

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH707 in the stretch of land from Km 97 to Km 106.12 (Guma – Fediz Section) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH	**District: SHIMLA**				
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nerwa				
	Village: Up Mohal Bohi (181/2)				
1	171	Government	Chargah	2.4546	Government of Himachal Pradesh 171/1
2	172	Government	Bakhal Doyam	0.0168	Government of Himachal Pradesh 172
	Village: Up Mohal Kyarla (180/2)				
3	334	Government	Chargah	0.7619	Government of Himachal Pradesh 334/1
4	548	Government	Chargah	0.167	Government of Himachal Pradesh 548/1
			TOTAL	**3.4003**	

[F. No. MoRTH PIU-P.S./L.A./2020-21/054/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.07 22:31:16 +05'30'